उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,

संख्या- 66 /2015/1072/92-1-2015-101आरई/2000,

दिनांक: लखनऊ: 17 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री संतोष कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुल्तानपुर द्वारा विकास खण्ड-कूड़ेभार के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग निन्दूरा के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6411(2)/62-3-2000-101आरई/2000, दिनांक 30-11-2000 द्वारा उन्हें निलम्बित करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-6411/62-3-2000-101आरई/2000, दिनांक 30-11-2000 द्वारा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-1921(एस/बी)/2000 दाखिल की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समादर करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-1362/62-3-2001-101आरई/2000 दिनांक 10-5-2001 द्वारा श्री संतोष कुमार शर्मा को बहाल करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत् चलते रहने के आदेश पारित किये गये।

2- जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्र दिनांक 31-7-2001 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री शर्मा के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये गये। जॉच कार्यवाही चलते रहने की अवधि में अपचारी अधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता के दिनांक 31-8-2012 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-11-2000 द्वारा संस्थित जॉच कार्यवाही कार्यालय ज्ञाप संख्या-3413/92-2014-101आरई/2000, दिनांक 30-7-2013 के माध्यम से सी0एस0आर0 के नियम-351-ए के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया।

3- जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने एवं प्रकरण में हुई कुल शासकीय क्षति रू0-78,960.00 के 25 प्रतिशत अर्थात रू0-19,740.00 की शासकीय क्षति हेतु श्री शर्मा को उत्तरदायी पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत जॉच आख्या की प्रति परिचालित करते हुए अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन शासन के पत्र संख्या-5563/92-2014-101आरई/2000, दिनांक 29-01-2015 द्वारा मांगा गया, जो उनके द्वारा पत्र दिनांक 23-02-2015 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं स्थापित आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में हुई संपूर्ण शासकीय क्षति रू0-78,960.00 की वसूली इसी प्रकरण में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्ग्रस्त पाये गये श्री राम सनेही पाण्डेय, अवर अभियंता से कर लिये जाने की स्थिति शासन के संज्ञान में आने के उपरान्त उक्त शासकीय क्षति रू0-78,960.00 का 25 प्रतिशत अर्थात रू0-19,740.00 की वसूली श्री संतोष कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, जो अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-8-2012 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से पुनः किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतदर्थ, वर्णित स्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त, श्री संतोष कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6411/62-3-2000-101आरई/2000, दिनांक 30-11-2000 द्वारा संस्थित तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3413/92-2014-101आरई/2000, दिनांक 30-7-2013 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351-ए के अन्तर्गत प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-66/2015/1072(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- श्री संतोष कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।